

उत्तर प्रदेश राज्य हज समिति

(उ०प्र० सरकार द्वारा गठित)

मौलाना अली मियां मेमोरियल हज हाउस, सरोजनीनगर, लखनऊ

ई-मेल : hajcommittee.up@gmail.com, shcuplko@rediffmail.com

वेबसाइट: hajcommittee.up.gov.in

पत्रांक : जी-॥/१२११/एस०एच०सी/२०२५

दिनांक : २०.०८.२०२५

—: प्रेस विज्ञप्ति :-

हज कमेटी आफ इण्डिया मुम्बई द्वारा सकुलर-९ दिनांक २०.०८.२०२५ जारी किया गया है जिसमें सभी प्रोवीजनली चयनित हज यात्रियों को अग्रिम धनराशि रु १,५२,३००/- जमा किये जाने की तिथि २० अगस्त, २०२५ से बढ़ाकर दिनांक २५ अगस्त, २०२५ का दी गयी है।

यह भी अवगत कराया गया है कि जिन हज यात्रियों ने शॉर्ट हज में आवेदन किया था तथा उनका कुर्रा (डिजिटल रैण्डम सेलेक्शन) हो गया है उन सभी का शॉर्ट हज में चयन कर लिया गया है।

१. चयनित हज यात्री निर्धारित धनराशि ऑनलाइन वेबसाइट <https://hajcommittee.gov.in> पर व हज सुविधा एप पर क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग के माध्यम से भी जमा कर सकते हैं।
२. धनराशि स्टेट बैंक आफ इण्डिया व यूनियन बैंक आफ इण्डिया में भी पे-इन-स्लिप द्वारा हज कमेटी आफ इण्डिया के खाते में जमा की जा सकती है। धनराशि जमा करने हेतु वेबसाइट <https://www.hajcommittee.gov.in> व www.hajcommittee.up.gov.in पर उपलब्ध सूची में प्रत्येक कवर नम्बर के सामने बैंक रेफरेंस नम्बर अंकित है।
३. धनराशि जमा करने के उपरान्त प्रत्येक यात्री को रसीद/पे-इन-स्लिप हस्ताक्षरित हज आवेदन फार्म, घोषणा पत्र, अन्तर्राष्ट्रीय पासपोर्ट हेतु घोषणा पत्र, मेडिकल स्क्रीनिंग एण्ड फिटनेस सर्टिफिकेट (निर्धारित प्रारूप पर वेबसाइट पर उपलब्ध है) हज कमेटी आफ इण्डिया के पोर्टल पर अपने लॉग-इन आईडी० से अपलोड करना है अथवा कार्यालय उ०प्र० राज्य हज समिति, मौलाना अली मियां मेमोरियल हज हाउस, सरोजनीनगर, लखनऊ-२२६००८ पर डाक अथवा दस्ती दिनांक ३०.०८.२०२५ तक जमा करना आवश्यक होगा।
४. प्रदेश के सभी जिलों के मुख्य चिकित्साधिकारियों को स्वास्थ्य विभाग, उ०प्र० शासन की ओर से ज़िला स्तर पर नियमानुसार मेडिकल स्क्रीनिंग एवं फिटनेस सर्टिफिकेट निर्गत करने हेतु निर्देशित किया गया है, ताकि हज यात्रियों को कोई असुविधा न हो।

(एस०पी० तिवारी)
सचिव/कार्यपालक अधिकारी

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

१. निजी सचिव, मा० मंत्री अल्पसंख्यक कल्याण, मुस्लिम वक्फ एवं हज, उ०प्र० को मा० मंत्री जी को अवगतार्थ।
२. निजी सचिव, मा० राज्य मंत्री अल्पसंख्यक कल्याण, मुस्लिम वक्फ एवं हज को मा० मंत्री जी को अवगतार्थ।
३. मा० अध्यक्ष/सदस्यगण, उ०प्र० राज्य हज समिति, लखनऊ।
४. प्रमुख सचिव, अल्पसंख्यक कल्याण, मुस्लिम वक्फ एवं हज, उ०प्र० शासन।
५. निदेशक, उ०प्र० अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, इन्दिरा भवन, लखनऊ।
६. समस्त जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, उ०प्र०।
७. समस्त प्रशिक्षक, उ०प्र०/हज सुविधा केन्द्र, उ०प्र०।
८. सूचना अधिकारी, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ०प्र०।

(एस०पी० तिवारी)
सचिव/कार्यपालक अधिकारी